तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
15/7/21	पत्रावली पेश/ तलबशुदा उक्त प्रार्थी का प्रा.पत्र u/s 251-ए दं.प्र.सं. को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी कर दस्तखत कर शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली मियाद गुजर होकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।
	उपखण्ड अधिकारी, खींवसर (नागौर)

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 व 7 दौराने बहस अनुपस्थित रहें। विद्वान वक्ता अप्रार्थी संख्या 03 का कथन था की प्रार्थी व उसके परिवार के पास वैकल्पिक रास्ता मौके मौजूद होने के बावजूद एवं चालू होने के बावजूद केवल मात्र प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को तगं परेशान ने की नियत से हमें परेशान कर रहे है, जो वेकल्पिक रास्ता चालू है उसका अंकन संलग्न नक्शा एवं फोटोग्राफ हमने जबाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश किये है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास ल्पिक रास्ता होने के बावजूद एवं रास्ता खुला होने के बावजूद धारा 251 अ आरटीएक्ट के ानों के विपरीत प्रार्थना पत्र पेश किया जो खारिज योग्य है।

हस्तगत प्रकरण रा.का.अ. की धारा 251 अ में उल्लेखित रास्ता दिया जाने को दोनो बिन्दूओं देखा जाना आवश्यक है की :–

1. आत्यंतिक आवश्यकता न केवल सुविधा :–

प्रार्थी के पास अन्य कोई स्थायी रास्ता नहीं है परन्तु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता साबित ा है।

2. अन्य वैकल्पिक साधनो का अभाव :–

प्रार्थी ने जरिये प्रा.पत्र एव विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि अपने ाय तक पहुँचनें के लिये उसके पास अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। मगर प्रार्थी के पास अन्य यी मार्ग नहीं है तथा कोई वैकल्पिक मार्ग भी नहीं है ।

3. प्रश्नगत रास्ता निकटतम होना चाहिये :–

प्रश्नगत रास्ता निकटतम एवं सरल, सुगम होना चाहिये मगर प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ्टतम नहीं है क्योंकि राजस्व नक्शे के अवलोकन से यह साबित होता है कि प्रश्नगत रास्ता कम क्रम रकबा प्रभावित करने वाला नहीं है जो नजरी नक्शे से साबित होता है ।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात एवं सीलदार खींवसर की रिपोर्ट का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया । जिससे यह साबित होता है प्रश्नगत रास्ता के बाबत् राजस्व नक्शे से कम से कम रकबा प्रभावित करने वाला नहीं है लिए प्रार्थी के द्वारा मौजा हमीराणा के ख.न. 553 में से रास्ते की मांग करना न्यायोचित नहीं है। लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी का खारिज योग्य है एवम् प्रार्थना पत्र में ख.न. 552 में से रास्ता हेन्त करके पेश नहीं किया है परन्तु इस कमी की वजह से खेत तक जाने के लिए अन्तर्गत धारा अ में प्रदरन किये जाने वाले अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है इसलिए न्यायहित को ा नजर रखते हुए प्रार्थी को मौजा हमीराणा के खसरा नबंर 552 में से दिया जाने बाबत् प्रार्थना कार किया जाना न्यायोचित है तथा प्रार्थी ने भी अपने प्रार्थना पत्र में मौजा हमीराणा के ख.न. ?/553 में जो उचित लगे वहां से रास्ता चाहा है चूंकि ख.न. 552 में से रास्ता दिया जाना उचित ।

अतः प्रार्थी की अतिआवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मौजा मौजा हमीराणा के खसरा नबंर ? में से 12 फीट रास्ता दिया जाना उचित है।

आदेश

अतः मौजा हमीराणा के खेत खसरा नबंर 1157/551 में आने जाने के लिए मौजा हमीराणा खेत खसरा नबंर 552 की माठ से सटकर 12 फिट चौड़ा रास्ता घोषित किया जाता है उक्त ते में प्रभावित होने वाले रकबे की आप गणना कर डी.एल.सी दर से चार गुना राशि प्रार्थी से त कर अप्रार्थी संख्या 6 व 7 खातेदार श्री नगाराम एवं पुरखाराम पुत्रगण मेहराजराम जाति जाट ासी टांकला को भुगतान किया जाना है अगर उक्त राशि उपरोक्त अप्रार्थीगण प्राप्त नहीं करते तो उक्त राशि राजकोष में जमा करवाई जाकर उक्त आदेश की पालना की जावें। अप्रार्थी संख्या से 7 द्वारा या अन्य किसी के द्वारा रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार आवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु न्द किया जाता है।

राजकेश मीना RAS
(उपखण्ड अधिकारी)
खींवसर